भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2754
17.03.2025 को उत्तर के लिए

पर्यावरण नियामक की स्थापना

2754. प्रो. सौगत रायः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश के पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के समान एक पर्यावरण विनियामक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) देश में विभिन्न मौजूदा विभिन्न पर्यावरण प्राधिकरणों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या देश में विभिन्न पर्यावरण एजेंसियों के बीच कोई विवाद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) मौजूदा अधिनियम, नियम और अधिसूचनाएं पर्यावरणीय मंजूरी के लिए परियोजनाओं के मूल्यांकन और राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा माननीय न्यायालयों के माध्यम से पर्यावरणीय मुद्दों के न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक प्रशासनिक और कानूनी रूपरेखा प्रदान करने के अलावा पारदर्शिता, दक्षता में सुधार और व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए कई उपाय भी प्रदान करते हैं। मंत्रालय ने पर्यावरण नियामक के प्रस्ताव के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है, जिसके आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने संबंधित अन्तर्वर्ती आवेदनों का निपटारा कर दिया था।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य स्तर पर शीघ्र मंजूरी के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण

प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (एसईएसी) का गठन किया गया है। एसईआईएए और एसईएसी समय-समय पर यथासंशोधित ईआईए अधिसूचना 2006 के उपबंधों के आधार पर काम करते हैं। इसके अलावा, राज्यों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण समितियों का गठन जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के तहत किया गया है।

****